रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक प्रकार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट बिन्दु क्रमांक 3 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरणः— यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ—साथ विक्रम पुरूस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरूस्कार के आधार वाली पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।

3. उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोटः— अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ0ग0 शासन) द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया

1. विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरें एवं बंद लिफाफे में जिसके उपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को कार्यालय जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर (छ0ग0) में दिनांक 17.01.2025 की संध्या 05.00 बजे तक कार्यालय में रखे ड्राप बाक्स में जमा करना होगा। डाकघर या अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र (शासकीय/ अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर), की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. अभ्यर्थी को एक से अधिक पदों के लिये पृथक—पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रकिया

कार्यालय सहायक/क्लर्क, के पद हेतुः—

प्रथम चरण : स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता

रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये जारी पदों के 25 गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके स्नातक में प्राप्त अंकों की प्रावीण्यता (मेरीट) पर जारी की जायेगी। समान अंकों की दशा में जन्म तिथि आधार पर वरिष्ठ को अवसर प्रदान किया जायेगा। जन्म तिथि समान होने पर अंग्रजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा

कार्यालय सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट—सह— डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट) (संविदा) के पद हेतुः—

उक्त पदों हेतु पृथक—पृथक कौशल परीक्षा 500 अंकों की होगी। उम्मीद्वारों को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से पांच मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑरपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस

में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये एक अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिये होगा।
टीपः– कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

मेरीट सूचीः– कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरीट सूची तैयार की जायेगी। चयनित अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जायेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की स्नातक में समान अंक होने पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के मेरीट सूची के अनुसार रिक्त पद से तीन गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। साक्षात्कार कुल 50 अंक का होगा।

चयन प्रक्रियाः–उक्त साक्षात्कार परीक्षा के वरीयता सूची के आधार पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जायेगी। दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेंडेंट) के (संविदा) पद हेतु :–

रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये रिक्त पदों के 25 गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा पांचवीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम तैयार की जायेगी। तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। साक्षात्कार कुल 50 अंक का होगा।

साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी।
टीपः– यदि किसी अभ्यर्थी को कक्षा पांचवीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कक्षा पांचवीं में प्राप्त किये गये प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्वप्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करें।

''परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जायेगा।''

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र को चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिये

अन्य आवश्यक सूचनाएं

(A) नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर को होगा।